

### अध्याय 3: निर्धारण में गलती

#### 3.1 प्रस्तावना

निर्धारित और एओ दोनों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य है और इसलिये अधिनियम/नियम प्रावधानों से विचलन को उजागर करना निष्पादन लेखापरीक्षा का महत्वपूर्ण भाग है। ऐसी टिप्पणियां विभाग को संशोधन/पुनरीक्षण करने में सहायता कर सकती हैं जिसके परिणामस्वरूप राजस्व एकत्र होगा और गलतियों को दोहराने से भी बचा जा सकेगा। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, हमारे समक्ष कई मामले आये जो अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे।

निर्धारण में गलतियों का श्रेणी वार विवरण नीचे तालिका 3.1 में संक्षिप्त रूप से दर्शाया गया है:

पैरा सं.	तालिका 3.1: गलतियों की प्रकृति	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
3.2	रिटर्न फाइल करने में विलम्ब के बावजूद कटौती की अनुमति	11	80.49
3.3	अनुमेय अवधियों के बाद अनुमत कटौती	6	859.47
3.4	व्ययों का गलत आबंटन	15	224.47
3.5	विघटन/एकीकरण के परिणाम	7	376.10
3.6	पात्र लाभों की गणना में गलतियां	43	143.65
3.7	संबंधित पक्षों से लेनदेन बाजार कीमत पर नहीं किया जाना	6	15.10
3.8	पुराने संयंत्र तथा मशीनरी/पूर्ववर्ती अवसंरचना सुविधा/पहले से ही मौजूद व्यवसाय के विभाजन पर अनुमत कटौती	11	40.51
3.9	अन्तरण मूल्य निर्धारण (टीपी) समायोजन पर कटौती का अनुमोदन	4	15.11
3.10	अन्य स्रोतों से आय के प्रति कटौती	27	227.87
3.11	अन्य त्रुटियाँ	15	170.28
3.12	विशेष आरक्षित निधि के सृजन के बिना कटौती की अनुमति	1	0
	<b>कुल</b>	<b>146</b>	<b>2153.05</b>

### 3.2 रिटर्न फाइल करने में विलम्ब के बावजूद कटौती की अनुमति

धारा 80एसी के अनुसार, धारा 80आईए के अंतर्गत कटौती तब तक नहीं की जायेगी जब तक आप के रिटर्न में दावा नहीं किया गया हो और आय का रिटर्न संबंधित निर्धारण वर्ष में धारा 139(1) के अंतर्गत निर्धारित देय तिथि के अंदर भरा गया हो।

हमने 6 राज्यों<sup>28</sup> में 11 मामले पाये जिनमें आईटीडी ने रिटर्न फाइल करने में विलम्ब के बावजूद कटौती नामंजूर नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 80.49 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़ी आय का कम निर्धारण हुआ (परिशिष्ट 12)।

**बॉक्स 3.1: रिटर्न फाइल करने में विलम्ब के बावजूद कटौती की अनुमति पर उदाहरण के मामले**

**क. प्रभार : सीआईटी VI, दिल्ली**

**निर्धारित : मैसर्स मोन्नेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड**

**निर्धारण वर्ष : 2010-11**

**पैन : AAACM0501D**

एओ ने ऊर्जा उत्पन्न करने के लिये ₹ 177.75 करोड़ की कटौती अनुमत की। हमने पाया कि निर्धारित ने 29 जनवरी 2011 को रिटर्न फाइल करने की देय तिथि के बाद आय का रिटर्न फाइल किया था। इस प्रकार, अनुमत कटौती उचित नहीं थी। एओ द्वारा कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 60.41 करोड़ के कर प्रभाव प्रभाव से जुड़ी ₹ 177.75 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

**ख. प्रभार : सीआईटी II सूरत**

**निर्धारित : मैसर्स सौराष्ट्र एनवायरो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड**

**निर्धारण वर्ष : 2012-13**

**पैन : AACCV1967G**

एओ ने निर्धारित को ₹ 18.94 करोड़ की कटौती अनुमत की। हमने देखा कि निर्धारित ने 30 सितम्बर 2012 की देय तिथि के प्रति 26 अक्टूबर 2012 को नि.व. 2012-13 के लिये आय का रिटर्न फाइल किया। इस प्रकार, निर्धारित कटौती के लिये पात्र नहीं था। दावे को नामंजूर करने में एओ की विफलता के कारण ₹ 8.41 करोड़ के कर की कम उगाही से जुड़ी ₹ 18.94 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी मामले की जांच करने के लिये सहमत था (अगस्त 2015)।

<sup>28</sup> आंध्र प्रदेश (2), दिल्ली (1), गुजरात (1), महाराष्ट्र (1), तमिलनाडु (5) और उत्तर प्रदेश (1)

ग. प्रभार : सी1 सैन्ट्रल 2, चेन्नै  
निर्धारित : सेंट जॉन फ्रेट सिस्टमस् प्राइवेट लिमिटेड  
निर्धारण वर्ष : 2007-08 से 2010-11  
पैन : AAACS 4697N

एओ ने क्रमशः 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में निर्धारित को ₹ 1.32 करोड़, ₹ 1.79 करोड़, ₹ 2.43 करोड़ और ₹ 1.50 करोड़ की कटौती अनुमत की। हमने देखा कि निर्धारित ने क्रमशः 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिये 7 फरवरी 2008, 20 जनवरी 2009, 30 नवम्बर 2009 और 22 अक्टूबर 2011 को लंबित रूप से आय का रिटर्न फाइल किया था। निर्धारित के दावे को नामंजूर करने की एओ की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.39 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़ी ₹ 7.04 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित है।

### 3.3 अनुमेय अवधियों के बाद अनुमत कटौती

धारा 80आईए के अंतर्गत कटौती की अनुमति धारा 80आईए के अंतर्गत कटौती का, 15 वर्षों में से लगातार किसी भी 10 निर्धारण वर्षों के लिये दावा किया जाना अपेक्षित है (सड़क, राजमार्ग और जल परियोजना के मामले में 20 वर्षों)। इस उद्देश्य हेतु नि.व. 2000-01 से, प्रारंभिक निर्धारण वर्ष, निर्धारण वर्ष होगा जैसाकि निर्धारित द्वारा अपने विकल्प में निर्धारित किया होगा, उस वर्ष से शुरू होगा जिसमें उपक्रम या उद्यम संचालित होगा या मूल सुविधायें शुरू करेगा। नि.व. 2000-01 से पूर्व, प्रारंभिक निर्धारण वर्ष के उद्देश्य हेतु विकल्प चयन करने का प्रावधान अधिनियम में उपलब्ध नहीं था।

हमने चार राज्यों<sup>29</sup> में छह मामलों में देखा कि कटौती घोषित प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से शुरू होकर, लगातार 10 निर्धारण वर्षों की अनुमत सीमा से अधिक अवधि के लिये की गई थी। कटौती की गलत अनुमति से ₹ 859.47 करोड़ का कर प्रभाव बना (परिशिष्ट 13)।

<sup>29</sup> चण्डीगढ़ (1), दिल्ली (1), गुजरात (1) और महाराष्ट्र (3)

**बॉक्स 3.2: अनुज्ञेय अवधि से अधिक कटौती की अनुमति पर निदर्शी मामले**

**क. प्रभार : प्रधान सीआईटी-14, मुंबई**  
**निर्धारित : मैसर्स आईडिया सेल्यूलर लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2009-10, 2011-12 और 2012-13**  
**पैन : AAACB 2100P**

एओ ने नि.व. 2009-10, 2011-12 और 2012-13 के लिये निर्धारित को ₹ 2253.02 करोड़ की कुल कटौती अनुमत की। हमने देखा कि दूरसंचार सेवा से जुड़े निर्धारित ने 1 अप्रैल 2000 से पूर्व अर्थात् 3 अक्टूबर 1996 और 31 जुलाई 1997 के बीच अपना कार्य शुरू किया और इस प्रकार प्रारंभिक निर्धारण वर्ष 1997-98 और 1998-99 होने के कारण, निर्धारित नि.व. 2007-08 और 2008-09 तक ही कटौती के लिये पात्र था। तथापि, निर्धारित ने, अग्नेहीत व्यापार हानि और अनावशोषित मूल्यहास की बड़ी राशि के आधार पर, इन वर्षों के दौरान कटौती का दावा नहीं किया। तथापि, एओ ने नि.व. 2009-10 से कटौती की अनुमति दी क्योंकि साकारात्मक आय थी जो उचित नहीं थी क्योंकि कटौती के लिये पात्र अवधि पहले ही नि.व. 2008-09 के अंत में समाप्त हो चुकी थी। संयोग से, इसी प्रकार दूसरे निर्धारित मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड जिसने 1995-96 के दौरान अपना व्यापार शुरू किया था के मामले में, आईटीडी ने उपरोक्त के आधार पर निर्धारित द्वारा दावा की गई कटौती नामंजूर की। एओ द्वारा अनुमत अवधि के बाद कटौती की अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 807.60 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़ी ₹ 2253.02 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित है।

**ख. प्रभार : प्रधान सीआईटी-14, मुंबई**  
**निर्धारित : मैसर्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2009-10, 2011-12 और 2012-13**  
**पैन : AACCR7446Q**

एओ ने नि.व. 2009-10 के लिये निर्धारित को आय में ₹ 114.12 करोड़ की कटौती की अनुमति दी। हमने देखा कि निर्धारित ने 1 अप्रैल 2000 से पूर्व नि.व. 1995-96 और 1996-97 से संबंधित वर्ष से दाहानु पावर यूनिट में संचालन शुरू किया जिसके लिये कटौती का दावा करने हेतु प्रारंभिक निर्धारण वर्ष के लिये विकल्प उपलब्ध नहीं था। परिणामस्वरूप, कटौती के लिये पात्र, अवधि की 10 वर्ष की सीमा क्रमशः यूनिट-1 और यूनिट-2 के लिये नि.व. 2004-05 और नि.व. 2005-06 तक समाप्त हो गई थी। इसी प्रकार, नि.व. 2009-10 से 2012-13 तक के लिये पवन चक्की के संबंध में निर्धारित को अनुमत ₹ 32.20 करोड़ की कटौती उचित नहीं थी क्योंकि पात्र अवधि की 10 वर्ष की सीमा नि.व. 2008-09 तक समाप्त हो चुकी थी। अनुमत अवधि से अधिक कटौती करने की अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 49.56 करोड़ के कर की कम उगाही से जुड़ी ₹ 146.32 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। विभाग ने आपत्ति को स्वीकार नहीं किया यह कहते हुये कि 1 अप्रैल

2000 का संशोधित प्रावधान निर्धारित जिसने संचालन 1 अप्रैल 2000 से पूर्व शुरू कर लिया हो के लिये समान रूप से लागू होता है। इसलिये, दावा की गई कटौती की उचित अनुमति दी गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि संशोधित प्रावधान का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं था। इसलिये, इकाईयां जिन्होंने 1 अप्रैल 2000 से पूर्व संचालन शुरू किया था को लाभ की अनुमति देना उचित नहीं थी। इसके अतिरिक्त, विभाग ने विभिन्न प्रभागों में निर्धारित और कटौती नामंजूर हुये मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के मामले में भी समान निर्णय लिया।

### 3.4 व्ययों का गलत आबंटन

धारा 80आईए(10) में एओ द्वारा लाभ की पुनः गणना का प्रावधान है, तब जब उपयुक्त व्यापार करने वाले निर्धारित और किसी भी अन्य व्यक्ति के बीच निकट संबंध हो जब उनके बीच व्यापार की कार्यप्रणाली इस तरह व्यवस्थित हो कि उनके बीच व्यापार लेने-देने से निर्धारित को सामान्य लाभ से अधिक लाभ हो जो ऐसे उचित व्यापार में होना अपेक्षित हो।

अप्रत्यक्ष व्यय जैसे प्रशासनिक व्यय, निदेशक का पारिश्रमिक, मुख्य कार्यालय व्यय, स्थापना व्यय, धारा 35(1)(ii) के अंतर्गत कटौती, रॉयल्टी भुगतान आदि जो पात्र और अपात्र व्यापार में समान हो को उनके बीच बांट देना चाहिये। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारित पात्र व्यापार के संबंध में व्यापार लाभ की गणना करते समय केवल प्रत्यक्ष संचालन व्यय को ध्यान में रख रहे थे। इसके परिणामस्वरूप धारा 80आईए के अंतर्गत कटौती के उच्च दावे के परिणामी प्रभाव के साथ पात्र व्यापार के लाभ में वृद्धि हुई।

हमने आठ राज्यों<sup>30</sup> में 15 मामलों में देखा कि धारा 80आईए के अंतर्गत पात्र और अपात्र इकाईयों के बीच समान व्यय को उचित रूप से बांटे बिना कटौती अनुमत थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 224.47 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़ी कटौती की अधिक अनुमति दी गई (परिशिष्ट 14)।

<sup>30</sup> आंध्र प्रदेश (3), दिल्ली (1), गुजरात (2), कर्नाटक (2), महाराष्ट्र (3), राजस्थान (2), तमिलनाडु (1) और उत्तरप्रदेश (1)

**बॉक्स 3.3 : व्यय के गलत आबंटन पर उदाहरण के मामले**

**क. प्रभार : सीआईटी VI, दिल्ली**  
**निर्धारित : मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11, 2011-12 और 2012-13**  
**पैन : AAACN0255D**

एओ ने पात्र इकाइयों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु क्रमशः नि.व. 2010-11 से 2012-13 के लिये निर्धारित को ₹ 1661.45 करोड़, ₹ 2034.90 करोड़ और 2680.74 करोड़ की कटौती की अनुमति दी। लेखापरीक्षा ने अलग लेखे में देखा कि कॉर्पोरेट व्यय के प्रति ₹ 106.57 करोड़, ₹ 159.09 करोड़ और ₹ 179.08 करोड़ की राशि प्रत्येक पात्र इकाइयों के लाभ प्राप्त करने के लिये लाभ और हानि खाते से डेबिट की गई थी। तथापि, धारा 80 आईए के अंतर्गत कटौती का दावा करने के उद्देश्य हेतु लाभ की गणना करते समय, उसे दोबारा जोड़ दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पात्र लाभ में वृद्धि हुई। निर्धारित दो उपचार नहीं अपना सकता था - एक उसके लेखे के उद्देश्य के लिये और दूसरा उच्च कटौती का दावा करने हेतु लाभ निकालने के लिये। गलत गणना के परिणामस्वरूप ₹ 147.16 करोड़ के कुल कर प्रभाव से जुड़ी क्रमशः नि.व. 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिये ₹ 444.72 करोड़ की कटौती का अधिक दावा/स्वीकृति हुई। आईटीडी से उत्तर प्रतिक्षित था।

**ख. प्रभार : पीसीआईटी 14, मुंबई**  
**निर्धारित : मैसर्स रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11, 2011-12 और 2012-13**  
**पैन : AACCR7446Q**

एओ ने उपरोक्त तीन निर्धारण वर्षों के लिये निर्धारित को ₹ 223.47 करोड़ की कटौती की अनुमति दी। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारित ने अनबिल्ड राजस्व के रूप में टैरिफ समायोजन खाते के कारण नियामक आय के रूप में आय की गणना में ₹ 568.33 करोड़, ₹ 461.97 करोड़ और ₹ 254.14 करोड़ की कटौती की। नियामक आय की विद्युत से निर्धारित वितरण द्वारा प्राप्त आय से कटौती करने और पात्र उपक्रमों को न बांटने के परिणामस्वरूप पात्र इकाइयों को लाभ में वृद्धि हुई और इस तरह धारा 80आईटी के अंतर्गत कटौती की अधिक अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 51.88 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े ₹ 155.61 करोड़ का कम निर्धारण हुआ। विभाग ने उत्तर दिया कि नियामक आय गोवा और समालकोट इकाइयों से संबंधित नहीं थी और इसलिये, बांटने का औचित्य नहीं निकलता। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि आईटीडी दावे के समर्थन में समर्थित दस्तावेज प्रदान नहीं किए कि नियामक आय गोवा और समालकोट इकाइयों से संबंधित नहीं थी। विभाग भी पूर्ण रूप से नियामक आय की कटौती की स्वीकार्यता को नहीं मानता।

ग. प्रभार : सीआईटी-1, हैदराबाद  
निर्धारित : मैसर्स एपी पावर जनरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद  
निर्धारण वर्ष : 2011-12  
पैन : AACCA2734J

निर्धारित कंपनी ने समेकित लाभ और हानि खाते में एसएलबीएचईएस, श्रीसायलम इकाई (80-आईए इकाई) में बाढ़ के कारण ₹ 13.08 करोड़ की हानि डेबिट की। तथापि, ऐसा कोई भी व्यय, पात्र विशिष्ट इकाई जिसके लिये 80-आईए कटौती का दावा किया गया था के अलग से लाभ और हानि खाते में बुक नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप धारा 80आईए के अंतर्गत ₹ 5.91 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़ी ₹ 13.08 करोड़ की कटौती का अधिक दावा किया गया था। आईटीडी मामले पर विचार करने हेतु सहमत था।

### 3.5 विघटन/एकीकरण के परिणाम

धारा 80आईए(12ए) के अनुसार, कटौती का लाभ उपक्रम या उद्यम जो 1 अप्रैल 2007 से पूर्व या विघटन/एकीकरण की योजना में ट्रांसफर कर दिये गये थे के लिये अनुमत नहीं है।

हमने चार राज्यों<sup>31</sup> में सात मामलों में उद्यम या उपक्रम जो एकीकरण/विघटन की योजना में ट्रांसफर किये गये थे यद्यपि ऐसा एकीकरण/विघटन 01.04.2007 को या उसके बाद हुआ हो से संबंधित लाभ के संबंध में कटौती की गलत अनुमति देखी। कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप 376.10 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़ी ₹ 1157.05 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ (परिशिष्ट 15)।

#### बॉक्स 3.4 : विघटन/एकीकरण के परिणाम पर निदर्शी मामले

क. प्रभार : प्रधान सीआईटी (सैन्ट्रल) 4, मुंबई  
निर्धारित : मैसर्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड  
निर्धारण वर्ष : 2010-11 और 2011-12  
पैन : AAACJ8109N

एओ ने एसबीयू ॥ इकाई जो वास्तविक रूप से मैसर्स जेएसडब्ल्यू (विजयनगर) लिमिटेड से संबंधित अलग संस्था थी, और बाद में 01.04.2008 से एकीकरण की योजना में निर्धारित कम्पनी के साथ मिला दी गई थी के संबंध में नि.व. 2010-11 और 2011-12 के लिये ₹ 416.06 करोड़ और ₹ 597.92 करोड़ की निर्धारित कटौती की अनुमति दी। चूँकि विलय

<sup>31</sup> दिल्ली(2), गुजरात (1), महाराष्ट्र (3) और तमिलनाडु (1)

01.04.2007 की निर्दिष्ट तिथि के बाद हुआ था, एसबीयू II के संबंध में कटौती को नामंजूर करना अपेक्षित था। एओ द्वारा कटौती की अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 340.03 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़ी ₹ 1013.98 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित था।

**ख. प्रभार : सीआईटी वालसाद**

**निर्धारित : मैसर्स देवांग पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड**

**निर्धारण वर्ष : 2011-12 और 2012-13**

**पैन : AADCD 7232R**

एओ ने निर्धारित को ₹ 2.72 करोड़ की कटौती अनुमत की। हमने देखा कि निर्धारित कंपनी 1 अप्रैल 2010 से बायोडील लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के गैर-फार्मा डिविजन के विघटन की योजना में बनी थी। चूँकि विघटन 01.04.2007 के बाद हुआ था, कटौती नामंजूर की जानी चाहिये थी। कटौती नामंजूर करने में एओ की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.09 करोड़ के कर की कम उगाही से जुड़ी आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित था।

### 3.6 पात्र लाभों की गणना में गलतियाँ

अध्याय VIए के अंतर्गत कटौती की गणना करने के लिये, अधिनियम में प्रावधान है कि निर्धारित द्वारा निकाली गई और उसकी कुल आय में शामिल की गई आय की राशि की अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्व वर्षों के अग्रणीत हानि और अनावशोषित मूल्यह्रास को ध्यान में रखते हुये अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गणना की जानी चाहिये। यह कानूनी रूप से नियत है कि सकल कुल आय अध्याय VIए के अंतर्गत कटौती की अनुमति से पूर्व पिछले वर्षों की आय, व्यापार हानि के प्रति निर्धारित की जानी चाहिये और यदि परिणामी आय 'शून्य' है, निर्धारित अध्याय VIए के अंतर्गत कटौती का दावा नहीं कर सकता।

हमने 10 राज्यों<sup>32</sup> में 43 मामलों में आय/कर, अवमूल्यन, अनुमत दुगनी कटौती, आय के अन्य शीर्ष पर अनुमत कटौती इत्यादि की गणना में गलती के कारण कटौती की गलत अनुमति देखी, जिसमें ₹ 143.65 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है (परिशिष्ट 16)।

<sup>32</sup> आंध्र प्रदेश(10), चन्डीगढ़(1), दिल्ली(1), गुजरात(1), कर्नाटक(5), मध्य प्रदेश(1), महाराष्ट्र(12), राजस्थान(1), तमिल नाडू(9) और उत्तर प्रदेश(2)



**बॉक्स 3.5: उपयुक्त लाभों की गणना में गलती पर निदर्शी मामलें**

**क. प्रभार : प्रधान सीआईटी सेन्ट्रल, कानपुर**  
**निर्धारिती : मैसर्ज एल्डेको सिडकल इंडस्ट्रीयल पार्क लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2007-08 तथा 2008-09**  
**पैन : AABCE6152D**

निर्धारिती की कर देयताओं की गणना करते समय एओ ने अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय 30 प्रतिशत की दर के प्रति मैट प्रावधानों के अन्तर्गत लागू दर 10 प्रतिशत की निम्नतर दर पर गलत रूप से कर उद्ग्रहण किया। एओ द्वारा की गई गलती के कारण दोनो नि.व. के लिए ₹ 20.63 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत गलती का परिशोधन किया (मार्च 2015)।

**ख. प्रभार : सीआईटी-IV, हैदराबाद**  
**निर्धारिती : मैसर्ज एनएसएल रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद**  
**निर्धारण वर्ष : 2012-13**  
**पैन : AABCN6009L**

एओ ने निर्धारिती को धारा 80 आई ए के अन्तर्गत ₹ 17.73 करोड़ की कटौती की अनुमति दी थी। निर्धारिती पवन चक्की तथा बायोमास से विद्युत उत्पन्न करने में शामिल था। हमने देखा कि उक्त कटौती को ₹ 8 करोड़ की व्यवसाय आय तक सीमित करने की बजाय, उपयुक्त व्यवसाय (विद्युत उत्पादन) से आय के अलावा, अन्य लेखा शीर्ष अर्थात् गृह संपत्ति, लघु अवधि पूंजीगत लाभ तथा लाभांश आय इत्यादि से आय पर भी अनुमति दी। कटौती को अस्वीकार करने में एओ की चूक के कारण ₹ 9.73 करोड़ की कटौती की अनियमित अनुमति दी गई जिसमें ₹ 3.90 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आईटीडी ने धारा 154 के अन्तर्गत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की (अगस्त 2015)।

**ग. प्रभार : सीआईटी प्रभार IV, दिल्ली**  
**निर्धारिती : मैसर्ज गुजरात गार्डीअन लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11**  
**पैन : AAACG1622K**

एओ ने निर्धारण को अंतिम करते समय, निर्धारिती द्वारा संशोधित आरओआई में दावा किए गए ₹ 22.77 करोड़ की बजाए वास्तविक आय की विवरणी (आरओआई) में दावा किए गए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए धारा 80 आई ए के अन्तर्गत, ₹ 18.35 करोड़ की कटौती को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार, एओ कटौती को अस्वीकार करने में विफल रहा जिसके

कारण ₹ 4.42 करोड़ की कटौती की गलत अनुमति दी गई जिसमें ₹ 2.36 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया था।

घ. प्रभार : प्रधान सीआईटी V, बेंगलुरु  
निर्धारिती : श्री. रामामूर्ति प्रवीण चंद्र  
निर्धारण वर्ष : 2010-11 से 2012-13  
पैन : AAKPC0482C

निर्धारिती ने कुल आय की गणना करते समय सभी तीन नि.व. के लिए पवन चक्कियों द्वारा विद्युत उत्पादन से हुई ₹ 3.49 करोड़ की आय को घटा दिया तथा समान राशि का दोबारा दावा किया गया तथा धारा 80 आई ए के अन्तर्गत कटौती की भी अनुमति दी गई थी। इस प्रकार कटौती को अस्वीकार करने में एओ की विफलता के कारण दुगुनी कटौती हुई, जिसमें ₹ 1.18 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण शामिल है। विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2015)।

### 3.7 संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन बाजार कीमत पर नहीं किया गया

धारा 80-आईए(8) प्रावधान करती है कि यदि निर्धारिती के पात्र तथा अन्य व्यवसाय के बीच माल एवं सेवाओं के लेन-देन के लिए प्राप्त प्रतिफल बाजार मूल्य के अनुरूप नहीं है, कटौती के उद्देश्य के लिए लाभ को पुनः परिकल्पित किया जाएगा जैसे कि लेनदेन प्रचलित बाजार दर पर किया गया था। यह न्यायिक<sup>33</sup> रूप से माना गया है कि निर्धारिती को राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा लिए जा रहे शुल्क की दर से विद्युत शुल्क, उपकर, कर इत्यादि को घटाते हुए यूनिट मूल्य प्रभारित करने की अनुमति है।

हमने चार राज्यों<sup>34</sup> में छह मामलों में देखा कि विद्युत के सीमित उपभोग के मामले में, निर्धारिती ने बाजार दर से उच्चतर दर अपनाते हुए अतिरिक्त कटौती का दावा किया। एओ ने पात्र कटौती, की सही राशियों पर पहुँचने के लिए धारा 80 आई ए(8) के प्रावधानों का भी सहारा नहीं लिया। इस प्रकार, इसके कारण कटौती की अतिरिक्त अनुमति मिली जिसमें ₹ 15.10 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है (परिशिष्ट 17)।

<sup>33</sup> डीसीआईटी विरुद्ध आईटीसी (आईटीए सं. 18 कोलकाता 2006) आईटीएटी बी बैंच कोलकाता

<sup>34</sup> मध्य प्रदेश (1), महाराष्ट्र (2), उत्तराखण्ड (1) और पश्चिम बंगाल(2)

**बॉक्स 3.6: संबंधित पक्षों से लेनदेन बाजार कीमत दर पर न किए जाने पर निदर्शी मामले**

**क. प्रभार : प्रधान सीआईटी-2, कोलकाता**  
**निर्धारिती : मैसर्ज जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11**  
**पैन : AAACJ6715G**

एओ ने निर्धारिती को इसके जेकेपुरम, सिरौही (राजस्थान) के कैप्टिव विद्युत संयंत्र से व्युत्पन्न उनके लाभ/प्राप्ति के लिए ₹ 24.80 करोड़ की कटौती की अनुमति दी। फार्म 10सीसीबी के अनुसार, उनके पास ₹ 113.19 करोड़ की कुल बिक्रियां थी जिनमें उसके स्वयं के सीमेंट प्लांट को ₹ 4.69 प्रति यूनिट जिसमें ₹ 0.40 का विद्युत शुल्क शामिल है पर दी गई विद्युत की 2375.84 लाख यूनिट समाविष्ट है जिसे आईटीएटी निर्णय के अनुसार घटाया जाना अपेक्षित था। ऐसा करने में एओ की विफलता के कारण लाभों की अतिरिक्त गणना हुई तथा फलस्वरूप ₹ 9.50 करोड़ की कटौती का उच्चतर दावा किया गया जिसमें मेट क्रेडिट के आगे अतिरिक्त हस्तांतरण के माध्यम से ₹ 3.23 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल है। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित है।

**ख. प्रभार : पीसीआईटी - देहरादून**  
**निर्धारिती : मैसर्ज ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11**  
**पैन : AAACO1598A**

एओ ने निर्धारिती को नि.व. 2010-11 के लिए ₹ 60.26 करोड़ की कटौती की अनुमति दी। हमने देखा कि निर्धारिती कम्पनी विद्युत के उत्पादन में शामिल थी। तथापि इसने कटौती के उद्देश्य के लिए अंतिम उपभोक्ताओं के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी) द्वारा लागू ₹ 5.58 प्रति यूनिट की दर को अपनाया जबकि निर्धारिती ने एमएसईबी को विद्युत ₹ 3.86 प्रति यूनिट की दर पर बेची। निर्धारिती का एमएसईबी को बिक्री मूल्य यानी ₹ 3.86 प्रति यूनिट को ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार निर्धारिती को सीमित उपभोग के लिए कम से कम बाजार कीमत पर होना चाहिए तथा इसे धारा 80 आई ए के अन्तर्गत कटौती के उद्देश्य के लिए भी अपनाना चाहिए। बाजार कीमत के गलत अभिग्रहण के कारण ₹ 18.79 करोड़ की कटौती का अतिरिक्त दावा किया गया जिसमें ₹ 8.56 करोड़ का कर प्रभाव भी शामिल था। आईटीडी ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार नहीं किया कि इस बिन्दु पर वृद्धि पहली बार नि.व. 2011-12 के दौरान की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नि.व. 2012-13 के लिए अनुवर्ती निर्धारण में एओ द्वारा समान दावे को भी अस्वीकृत कर दिया था।

### 3.8 पुराने संयंत्र तथा मशीनरी/पूर्ववर्ती अवसंरचना सुविधा/पहले से ही मौजूद व्यवसाय के विभाजन पर अनुमत कटौती

80 आई ए की कटौती के दावे के लिए निर्धारित शर्तों में से एक यह थी कि उपक्रम को किसी उद्देश्य के लिए पहले प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र के नए व्यवसाय को हस्तांतरण के द्वारा नहीं बनाया गया है। कटौती अनुमति योग्य थी यदि प्रयोग की गई मशीनरी का मूल्य संयंत्र एवं मशीनरी के कुल मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं था। भारत से बाहर प्रयुक्त तथा कटौती का दावा करने वाले निर्धारित द्वारा आयातित मशीनरी को नए के रूप में संसाधित किया गया था यदि ऐसी मशीनरी या संयंत्र पर अवमूल्यन के कारण किसी कटौती की अनुमति दी गई या अधिष्ठापन की तिथि से पहले किसी अवधि के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना में अनुमति योग्य थी। इसके अतिरिक्त, कटौती का दावा करने वाला उपक्रम धारा 33बी के अन्तर्गत पुनरूद्धार/पुनर्निर्माण के मामले तथा एक राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पहले प्रयुक्त किए गए संयंत्र या मशीनरी के हस्तांतरण के मामले को छोड़कर पहले से ही मौजूद एक व्यवसाय के विभाजन, या पुनर्निर्माण के द्वारा न बना हो।

सीबीडीटी ने स्पष्ट<sup>35</sup> कर दिया है कि राजमार्ग परियोजना के भाग के रूप में अतिरिक्त लेनों का निर्माण करके मौजूदा सड़क को चौड़ा करने के कार्य को नई “अवसंरचना सुविधा” के रूप में संसाधित किया जाएगा। मौजूदा सड़क को केवल दोबारा बनाने को इस खंड के लिए नई अवसंरचना सुविधा के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

हमने छह राज्यों<sup>36</sup> में 11 मामलों में देखा निर्धारितियों को ₹ 170.35 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई थी हालांकि प्रयोग किए जा रहे संयंत्र तथा मशीनरी पुराने थे या पहले से ही मौजूद व्यवसाय के विभाजन द्वारा उपक्रम बनाए जा रहे थे। कटौती की अनियमित अनुमति के कारण ₹ 40.51 करोड़ का कर प्रभाव शामिल हुआ (परिशिष्ट 18)।

<sup>35</sup> सीबीडीटी परिपत्र सं. 4/2010 दिनांक 18 मई 2010

<sup>36</sup> आंध्र प्रदेश(1), गुजरात(2), कर्नाटक(2), महाराष्ट्र(3), राजस्थान(1) और तमिल नाडू(2)

**बॉक्स 3.7: पुराने संयंत्र तथा मशीनरी/पूर्ववर्ती अवसंरचना सुविधा/ पहले से मौजूद व्यवसाय के विभाजन पर अनुमत कटौती के निदर्शी मामले**

**अ. प्रभार : सीआईटी V, हैदराबाद**  
**निर्धारिती : मैसर्ज विजयवाडा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11**  
**पैन : AACCV7296A**

एओ ने निर्धारिती को धारा 80 आई ए के अन्तर्गत ₹ 48.95 करोड़ की कटौती की अनुमति दी थी। निर्धारिती राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चरण V के भाग के रूप में निर्माण, प्रचालन तथा हस्तांतरण आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य में मौजूदा 4 लेन मार्ग को 6 लेन सड़क में विकसित करने के लिए एनएचआई के साथ समझौते में शामिल हुआ (2009)। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने दावा किया था तथा उसे पहले से ही मौजूद अवसंरचना (4 मार्गी सड़क) पर कटौती की अनुमति मिल गई थी, जो सीबीडीटी द्वारा जारी स्पष्टीकरण की दृष्टि में नियमानुसार नहीं था, देखें 18 मई 2010 को परिपत्र सं. 4/2010। कटौती की अनियमित अनुमति के कारण ₹ 48.95 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 16.64 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित है।

**ख. प्रभार : प्रधान सीआईटी 3, मुम्बई**  
**निर्धारिती : मैसर्ज रेडी पोर्ट लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11 से 2012-13**  
**पैन : AADCR6980N**

एओ ने नि.व. 2010-11 से 2012-13 के लिए निर्धारिती को क्रमशः ₹ 79.08 लाख, ₹ 3.61 करोड़ तथा ₹ 20.02 करोड़ की कटौती की अनुमति दी थी। कम्पनी 25 फरवरी 2009 को महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड (एमएमबी) के साथ समझौते में शामिल हुई, जिससे एमएमबी ने एक बहुउद्देशीय सामान्य प्रयोक्त पोर्ट के निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन, सहभागिता तथा हस्तांतरण (बीओओएसटी) आधार पर निर्माण के लिए 50 वर्षों के लिए लाइसेंस प्रदान किया था। एमएमबी ने सभी सरकारी परिसंपत्तियों तथा मौजूदा सुविधाओं को आधुनिक बहुउद्देशीय, सामान्य प्रयोक्ता पोर्ट की स्थापना के लिए निर्धारिती को हस्तांतरित कर दिया तथा डिजाइन, 50 वर्षों की लाइसेंस अवधि के दौरान प्रयोक्ता शुल्कों के संग्रहण तथा रखने का अधिकार भी प्रदान किया। चूंकि निर्धारिती मौजूदा सुविधाओं के प्रचालन में शामिल था तथा अभी नई अवसंरचना सुविधाओं को विकसित नहीं किया था, कटौती को अस्वीकार किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, कटौती को अस्वीकार करने में एओ की विफलता के कारण ₹ 24.42 करोड़ की कटौती की गलत अनुमति दी गई, जिसमें तीन वर्षों के लिए ₹ 10.40 करोड़ का कर प्रभाव भी शामिल था।

आईटीडी ने आपत्ति स्वीकार नहीं करते हुए कहा कि निर्धारिती ने 1 अप्रैल 2002 से प्रभावी धारा 80 आई ए में स्थापित सभी मानदंडों को पूरा करता था, एक उद्यम को किसी अवसंरचना के प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए कटौती अनुमतियोग्य है जबकि निर्धारिती कम्पनी कम्पनीज अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग “यह कम्पनी के स्वामित्व में है” के अर्थ का “निर्धारिती कम्पनी, कम्पनीज अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है” के रूप में विवेचन किया, जो सही नहीं था। धारा 80 आईए (1) के अन्तर्गत प्रयोग की गई उक्ति “यह कम्पनी के स्वामित्व में है” का अर्थ है - “अवसंरचना विकास कम्पनी के स्वामित्व में है”। इसके अतिरिक्त, आईटीडी का कथन कि किसी अवसंरचना का प्रचालन तथा अनुरक्षण धारा 80 आईए के अन्तर्गत कटौती के लिए पात्र व्यवसाय था, सही नहीं था। धारा 80 आईए(4)(बी) के अन्तर्गत, निर्धारिती के लिए नई अवसंरचना सुविधा का प्रचालन तथा अनुरक्षण अपेक्षित था। तत्काल मामले में, निर्धारिती ने 18 दिसम्बर 2009 को उनके आधुनिकीकरण के लिए पोर्ट की मौजूदा सुविधा के हस्तांतरण के लिए एमएमबी के साथ लीज डीड समझौता किया परन्तु निर्धारिती कम्पनी ने मौजूदा सुविधाओं का आधुनिकीकरण किए बिना समान निर्धारण वर्ष नि.व. 2010-11 के बाद से धारा 80 आईए के अन्तर्गत कटौती दावे करने आरंभ किए।

ग. प्रभार : सीआईटी-2 जयपुर

निर्धारिती : मैसर्स मुरारीलाल अग्रवाल कांटेक्टर प्राईवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष : 2010-11, 2011-12 तथा 2013-14

पैन : AAECM1948A

नि.व. 2011-12 तथा 2013-14 के लिए ₹ 8.34 करोड़ की अनुमत कटौती को सारांश तरीके से संसाधित किया गया तथा नि.व. 2010-11 के लिए संवीक्षा के बाद पूर्ण किया गया। हमने देखा कि निर्धारिती सड़क के चौड़ा करने, मजबूत करने तथा सुधार करने के व्यवसाय में शामिल था जिसमें लेवलिंग कोर्स/सतह को ठीक करना तथा सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ की मोटाई में वृद्धि करना शामिल था, जो कटौती के लिए पात्र नहीं था। इस प्रकार कटौती की अनियमित अनुमति के कारण आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 3.33 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। आईटीडी ने आपत्ति स्वीकार न करते हुए कहा कि चौड़ा करने और मजबूत करने से एक नई संरचना बनती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेवलिंग कोर्स/सतह को ठीक करना तथा सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ की मोटाई को बढ़ाना इत्यादि एक नई अवसंरचना सुविधा के रूप में वर्गीकरण योग्य नहीं थे।

घ. प्रभार : सीआईटी वलसाड  
निर्धारिती : मैसर्ज टीम फ़ैरो एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड  
निर्धारण वर्ष : 2010-11 तथा 2012-13  
पैन : AAAC8925A

एओ ने निर्धारिती को धारा 80 आईए के अन्तर्गत ₹ 3.50 करोड़ (नि.वि. 2010-11 के लिए ₹ 2.53 करोड़ तथा नि.व. 2012-13 के लिए ₹ 97.30 लाख) की कटौती की अनुमति दी। लाभ तथा हानि लेखा की लेखापरीक्षा संवीक्षा से, फॉर्म 10सीसीबी, आय की गणना तथा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से संलग्न टिप्पणियों से पता चला कि निर्धारिती ने एकमुश्त कीमत पर विद्युत यूनिट प्राप्त की। चूंकि उपक्रम को पहले ही मौजूद व्यवसाय के पुनर्निमाण से बना था, कटौती को अस्वीकार करना चाहिए था। कटौती अस्वीकार करने में एओ की चूक के कारण ₹ 3.50 करोड़ की कटौती की अनियमित अनुमति दी गई जिसमें ₹ 1.46 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। आईटीडी ने आपत्ति स्वीकार न करते हुए कहा कि धारा 80 आईए के प्रावधान एक मौजूदा निर्धारिती से अन्य निर्धारिती तक वास्तव में एक उपक्रम के हस्तांतरण को स्पष्टतया अस्वीकार नहीं करते। एक उपक्रम की बिक्री भी एक उपक्रम के हस्तांतरण के प्रकार में से एक है जिसे एक व्यक्ति द्वारा इसकी परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के लिए व्यापक रूप से तथा सामान्यतया प्रयोग किया जाता है। उत्तर धारा 80 आई ए(3)(ii) के स्पष्ट प्रावधान की दृष्टि में स्वीकार्य नहीं है, जो बताता है कि उपक्रम को किसी अन्य उद्देश्य के लिए पहले प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र के नए व्यवसाय में हस्तांतरण के द्वारा नहीं बनाना चाहिए।

### 3.9 अन्तरण मूल्य निर्धारण (टीपी) समायोजन पर कटौती का अनुमोदन

धारा 92सीए(4) कहती है कि अध्याय VIए के अन्तर्गत कोई कटौती, जिसमें धारा 80 आईए के अन्तर्गत कटौती शामिल है, को उस आय की राशि के संबंध में अनुमति दी जानी चाहिए जिसके द्वारा अंतरण मूल्य अधिकारी द्वारा आर्म्स लेंग्थ मूल्य के निर्धारण के बाद कुल आय बढ़ जाती है।

हमने तीन राज्यों<sup>37</sup> में चार मामले देखे जहाँ धारा 92सीए(4) के अन्तर्गत आर्म्स लेंग्थ मूल्य निर्धारित करते समय किए गए समायोजन पर कटौतियों को अनुमति दी गई, जिसमें ₹ 15.11 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था (परिशिष्ट 19)।

<sup>37</sup> आंध्र प्रदेश (1), महाराष्ट्र (2) और पश्चिम बंगाल (1)

**बॉक्स 3.8: टीपी समायोजन की अनुमति पर निदर्शी मामलें**

**क. प्रभार : पीसीआईटी (सेन्ट्रल) 3, मुम्बई**  
**निर्धारिती : मैसर्ज बीटी ग्लोबल कम्यूनिकेशन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2011-12**  
**पैन : AAACG1534A**

एओ ने अंतरण मूल्य समायोजन के प्रति निर्धारिती द्वारा स्वयं प्रेरित सीमा तक की गई वृद्धि पर ₹ 21.64 करोड़ की कटौती अनुमत की, जो नियमानुसार नहीं था। कटौती की अनियमित अनुमति के कारण ₹ 21.64 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 7.19 करोड़ के कर का कम उदग्रहण भी शामिल है। आईटीडी ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया है।

**ख. प्रभार : प्रधान सीआईटी-III कोलकाता**  
**निर्धारिती : मैसर्ज वोडाफोन ईस्ट लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2011-12**  
**पैन : AAACU3796J**

एओ ने धारा 92 सीए(3) के अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों के कारण आर्म्स लैंग्थ मूल्य के अतिरिक्त आरोही समायोजन की राशि, ₹ 35.36 करोड़ के 30 प्रतिशत पर ₹ 10.61 करोड़ की कटौती अनुमत की, जो धारा 92सीए(4) की शर्तों के उल्लंघन में था। कटौती को अस्वीकार करने में एओ की विफलता के कारण ₹ 10.61 करोड़ की कटौती की अतिरिक्त अनुमति दी गई, जिसमें ₹ 5.22 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित है।

### 3.10 अन्य स्रोतों से आय के प्रति कटौती

शब्द “उत्पत्ति होना” का एक व्यापक अर्थ नहीं हो सकता ताकि किसी आय, जो किसी तरीके से व्यवसाय से संबंधित हो, को समाविष्ट किया जा सके। आय के उत्पत्ति प्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय से जुड़ी होनी चाहिए तथा उससे उत्पन्न होनी चाहिए।

न्यायिक रूप से यह माना<sup>38</sup> गया है कि धारा 80आई ए/80आई बी पात्र व्यवसाय द्वारा उत्पन्न आय के संबंध में लाभ से जुड़े प्रोत्साहन हैं। ब्याज

<sup>38</sup> कैम्बे इलेक्ट्रिकल सप्लाय को. लिमिटेड 113 आईटीआर 84 (एससी), स्टर्लिंग फूड 237 आईटीआर 53 (एससी), पांडियन कैमिकल्स लिमिटेड 262 आईटीआर 278 (एससी), लिबर्टी इंडिया - [2009] 317 आईटीआर 218 (एससी), ओरकेव फार्मा प्राईवेट लिमिटेड - [2013] 354 आईटीआर 227 (एससी), सीआई विरूद्ध कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड [2007] 295 आईटीआर 223/[2008] 168 टैक्समैन 236 (एएलएल), कोहिनूर फूड्स लिमिटेड - [2013] 253 आईटीआर 264 (डीईएल), किरन एंटरप्राइसिज - [2010] 327 आईटीआर 520 (एचपी), शरावथी स्टील प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड - [2012] 347 आईटीआर 317 (केएआर), एम.एम. फोर्जिंग्स लिमिटेड - [2012] 349 आईटीआर 673 (एमएडी), लिबर्टी शूज लिमिटेड - [2007] 293 आईटीआर 478 (पी एंड एच), सीआईटी विरूद्ध महारानी पैकेजिंग (प्रा.) लिमिटेड (2011) 55 डीटीआर 340 (एचपी) (उच्च न्यायालय), किन्फ्रा एक्सपोर्ट्स प्रमोशन इंडस्ट्रीयल पार्क्स लिमिटेड विरूद्ध डीसीआईटी (2013) 59 एसओटी 57 (यूआरओ) (कोच्ची) (ट्रिब.), एस्सार पॉवर लिमिटेड विरूद्ध अपर सीआईटी (2013) 142 आईटीडी (मुम्बई) (ट्रिब.), सीआईटी विरूद्ध गंगोत्री टेक्सटाईल लिमिटेड (2014) 221 टैक्समैन 28 (एमएडी.) (एचसी)



आय, शुल्क वापसी प्राप्तियां तथा डीईपीबी लाभ, सरकार से प्राप्त माल भाड़ा सब्सिडी/परिवहन सब्सिडी, कमीशन, बीमा दावा इत्यादि को पात्र औद्योगिक उपक्रम से प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न नहीं माना जाता है तथा कटौती के लिए भी विचार नहीं किया जाता है।

हमने 12 राज्यों<sup>39</sup> में 27 मामलों में देखा कि धारा 80 आई ए के अन्तर्गत कटौती ब्याज प्राप्तियों, आयात लाईसेंस के विक्रय, बीमा दावा इत्यादि पर अनुमत है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पात्र व्यवसाय के लाभ समाविष्ट है। कटौती की अतिरिक्त अनुमति ने सकल ₹ 227.87 करोड़ के कर प्रभाव को आकर्षित किया (परिशिष्ट 20)।

**बॉक्स 3.9: अन्य स्रोतों से आय के प्रति कटौती पर निदर्शी मामले**

**क. प्रभार : प्रधान सीआईटी II, भोपाल**

**निर्धारिती : मैसर्ज नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड**

**निर्धारण वर्ष : 2010-11 से 2012-13**

**पैन : AABCN 1732 G**

निर्धारिती कम्पनी ने नि.व. 2010-11 से 2012-13 के लिए क्रमशः ₹ 110.58 करोड़, ₹ 107.35 करोड़ तथा ₹ 184.87 करोड़ का ब्याज तथा अन्य आय अर्जित की जो उपक्रम की इसकी हाइड्रोइलेक्ट्रिक विद्युत उत्पादन उद्योगिता पर अर्जित प्रत्यक्ष आय पर आरोपित नहीं थी। व्यवसाय लाभों से उपर्युक्त आय को बाहर निकालने में एओ की विफलता के कारण ₹ 402.80 करोड़ की कटौती की अतिरिक्त अनुमति दी गई जिसमें ₹ 133.23 करोड़ का कर प्रभाव भी शामिल है। विभाग ने मामले की जाँच करना स्वीकार कर लिया है।

**ख. प्रभार : पीसीआईटी-I, पटना**

**निर्धारिती : मैसर्ज बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड**

**निर्धारण वर्ष : 2012-13**

**पैन : AADCB 7567M**

एओ ने निर्धारिती को अन्य आय से ₹ 66.47 करोड़ की कटौती की अनुमति दी। हमने देखा कि एओ ने ₹ 71.91 करोड़ की ब्याज आय पर कटौती अनुमत की जो पात्र व्यवसाय से उत्पन्न नहीं हुई थी। यह भी देखा गया कि नि.व. 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान इसी प्रकार की कटौतियों को अस्वीकार कर दिया था। अन्य स्रोतों से संबंधित ₹ 66.47 करोड़ की कटौती के गलत अनुमोदन के कारण ₹ 23.05 करोड़ के कर का उदग्रहण नहीं किया गया। आईटीडी ने उपचारात्मक कार्रवाई करना स्वीकार किया (जुलाई 2015)।

<sup>39</sup> आंध्र प्रदेश(4), बिहार(1), चंडीगढ़(1), छत्तीसगढ़(1), दिल्ली(1), गुजरात(2), कर्नाटक(6), मध्य प्रदेश(1), महाराष्ट्र(1), राजस्थान (2), तमिल नाडू(6) और उत्तराखंड(1)

ग. प्रभार : सीआईटी 4 चेन्नई  
निर्धारिती : मैसर्स एल एंड टी ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड  
निर्धारण वर्ष : 2010-11 से 2012-13  
पैन : AAACL1912F

एओ ने उपर्युक्त तीन निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारिती को ₹ 36.05 करोड़ की कटौती अनुमत की। हमने देखा कि आय, जिसके प्रति न.व. 2010-11 के लिए कटौती का दावा किया गया था, में अन्तर-कोर्पोरेट जमा (आईसीडी) पर ₹ 16.48 करोड़ की ब्याज आय शामिल है, कटौती के लिए पात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने नि.व. 2011-12 तथा 2012-13 के लिए ₹ 13.33 करोड़ तथा ₹ 13.90 करोड़ के ब्याज व्यय को छोड़ते हुए पात्र व्यवसाय की आय में वृद्धि कर दी। हालांकि ब्याज व्यय पात्र व्यवसाय से संबंधित था, इसे 'अन्य स्रोत' से आय के प्रति समायोजित किया गया था। आय की गलत गणना के प्रणामस्वरूप ₹ 36.05 करोड़ की कटौती अधिक अनुमत की गई जिसमें ₹ 12 करोड़ का कर प्रभावअन्तर्गस्त था। 2010-11 वार्षिक वर्ष के लिए, आयकर विभाग ने उत्तर दिया कि करदाताओं ने ब्याज आय के संबंध में कटौती का दावा नहीं किया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है जैसा कि आय विवरण और निर्धारण आदेश की गणना से स्पष्ट रूप से पता चला है कि निर्धारिती ने उसी कटौती का दावा किया जिसे लेखापरीक्षा में निर्दिष्ट किया गया था। वार्षिक वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए, आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था।

ड. प्रभार : प्रधान सीआईटी, देहरादून  
निर्धारिती : मैसर्स सीआईडीसीयूएल  
निर्धारण वर्ष : 2010-11 और 2011-12  
पैन : AAHCS 7324R

निर्धारण अधिकारी ने उपरोक्त निर्धारण वर्ष के लिए क्रमशः ₹ 11.33 करोड़ रुपये और ₹ 14.44 करोड़ रुपये निर्धारिती के लिए कटौती की अनुमति दी थी। हमने पाया कि निर्धारितियों ने भूमि प्रीमियम प्राप्तियों की किस्तों पर ₹ 27.99 करोड़ रुपये ब्याज आय प्राप्त की थी जो पात्र व्यवसाय से प्राप्त नहीं की गयी थी। गलत कटौती की अनुमति के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 11.33 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने अवलोकन को स्वीकार कर लिया और उपचारी कदम उठाने के लिए सहमत हो गयी थी (अक्टूबर 2015)।

### 3.11 अन्य त्रुटियाँ

आयकर अधिनियम की धारा 143(3) प्रदान करती है कि निर्धारण अधिकारी को आय का निर्धारण सही और निर्धारित तरीके से करना है, विभिन्न प्रकार के दावों की सलंगन रिटर्न के साथ खातों संवीक्षा के निर्धारण में, अभिलेखों

और सभी दस्तावेजों की विस्तार से जांच की जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा समय समय पर अनुदेश भी निर्गत किये हैं।

हमने 15 मामलों<sup>40</sup> को देखा जहाँ एओ ने निर्धारण को पूरा करते समय विभिन्न प्रकार की गलतियों करने वालों को कटौती की अनुमति दी थी निर्धारण कटौती के अतिरिक्त अनुमति में ₹ 170.28 करोड़ का कर प्रभाव बनता था (अनुलग्नक 21)।

**बॉक्स 3.10: अन्य त्रुटियों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के अन्तर्गत दृष्टांत**

क. प्रभार : पीसीआईटी (सेन्ट्रल) 3, मुम्बई  
निर्धारिती : मैसर्स मैराथन नेक्स्टजेन रियलटी लि.  
निर्धारण वर्ष : 2010-11 से 2012-13  
पैन : AAACP8032B

कर निर्धारिती ने उपरोक्त कर निर्धारण वर्ष के लिए घर की संपत्ति, अन्य स्रोतों, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ और लघु अवधि के पूंजीगत लाभ से आय संबंध में ₹ 280.70 करोड़ की कटौती का दावा किया था। हनमे पाया कि कर निर्धारिती ने वास्तविक रिटर्न में शेयर धारकों की वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित खातों के आधार पर तैयार किये गये वास्तविक रिटर्न में अपनी गतिविधियों के माध्यम से ₹ 22.43 करोड़ का कुल व्यवसाय घाटा दिखाया है, तत्पश्चात्, कर निर्धारिती ने अपनी परियोजनाओं में से अचल संपत्तियों का बिक्री मूल्य घटाया था जैसाकि वास्तविक रिटर्न में दर्शाया गया है, अचल संपत्ति को बिक्री स्टाक में परिवर्तित करके और लेखा बही में दिखायी गयी दरों के स्थान पर परिसंपत्तियों की कम दर को अपनाया गया जिससे एलटीसीडी में पर्याप्त कमी और परिवर्तित व्यवसाय घाटे की तुलना में एसटीसीजी में वृद्धि हुई जैसा ₹ 142.88 करोड़ रुपये की व्यवसाय आय की मूल रिटर्न में दर्शाया गया है इसके संबंध में जो आदेश में नहीं थी इस सीमा तक कटौती की अनुमति दी गयी थी। संशोधित निर्धारण का दावा करते समय, एलटीसीजी में परिणामी कमी और एसटीसीजी में वृद्धि को वार्षिक लेखे में सुधारा नहीं गया था और विशेष वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा इसको अनुमोदित नहीं किया गया था। संशोधित लेखापरीक्षित लाभ और हानि लेखा तथा तुलन-पत्र संशोधित रिटर्न के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये थे। एओ से कटौती का अनियमित अनुमत से तीन वर्षों के लिए 47.60 करोड़ रुपये का कर प्रभाव पड़ा (आयकर विभाग से उत्तर प्रतिक्षा है)।

<sup>40</sup> आंध्र प्रदेश(1), महाराष्ट्र(12) और उत्तर प्रदेश(1)

ब. प्रभार : प्रधान सीआईटी 2, मुम्बई

कर निर्धारिती : मैसर्स टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड

निर्धारण वर्ष : 2010-11

पैन : AAAC0054A

एओ ने कर निर्धारिती के लिए शुद्ध आय प्राप्त करने से पूर्व ₹ 248.91 करोड़ की कटौती की अनुमति दी थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि कर मुक्त यूएस 64 बांड खाते पर घाटे को कर योग्य लाभ तक आने के लिए वापस नहीं जोड़े गये थे। ऐसा करने में एओ विफल रहे परिणामस्वरूप ₹ 108.83 करोड़ की कटौती के अतिरिक्त अनुमत ₹ 36.99 करोड़ रुपये कम उदग्रहित कर भी सम्मिलित है। आयकर विभागों के उत्तर की प्रतीक्षित था।

ग. प्रभार : प्रधान सीआईटी 5, मुम्बई

कर निर्धारिती : मैसर्स महाइसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष : 2012-13

पैन : AADCM9396D

एओ ने अमूर्त संपत्ति के स्थान पर ₹ 91.13 करोड़ के रूप में टोल संग्रह अधिकारो के संबंध में प्राप्त 15 वर्षों की रियायती अवधि के ऊपर ₹ 1366.91 करोड़ टोल संग्रहण अधिकार के कुल मूल्य का जो एक पन्द्रवहा होता है, ₹ 79.94 करोड़ की सीमा तक परिशोधन की अनुमति दी थी। आगे, खाता लाभ का निर्धारण करते समय, एओ ने ₹ 127.48 करोड़ कुल लाभ से मूल्य की कमी के लिए ₹ 54.97 करोड़ के प्रावधान की कटौती की गयी थी जबकि सामान्य प्रावधान में एओ ने व्यवसाय निर्धारण के उद्देश्य के लिए इसको अस्वीकृत नहीं किया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप अतिरिक्त कटौती का अनुमत हुआ ₹ 66.16 करोड़ जिसमें ₹ 21.47 करोड़ कर प्रभाव भी सम्मिलित किया गया। आयकर विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है।

### 3.12 विशेष आरक्षित निधि के सृजन के बिना कटौती की अनुमति

धारा 80आईए(6) प्रदान करती है कि जहाँ आवास या अन्य गतिविधियों राजमार्ग परियोजना का एक अभिन्न अंग है और जिसमें से लाभ जैसा निर्धारित किया जा सकता है के आधार और तरीके पर जिसमें से लाभ इस प्रकार निर्धारित किया गया है, इस प्रकार का लाभ कर के लिए योग्य नहीं हो सकता जब लाभ को विशेष आरक्षित खाते के लिए हस्तांतरित किया गया है और इसे वास्तव में राजमार्ग परियोजना के लिए उपयोग किया गया है। आवास और वर्ष में जो ऐसी राशि आरक्षित खाते में स्थानांतरित करने के बाद

तीन साल की समाप्ति से पहले अन्य गतिविधियों को छोड़कर, और शेष उपयुक्त राशि वर्ष की आय के रूप में कर के दायरे में होगी जिसमें आरक्षित खाते में इस प्रकार के हस्तांतरण ने स्थान ले लिया है।

**बॉक्स 3.11: विशेष आरक्षित निधि के सृजन के बिना कटौती की अनुमति पर निदर्शी मामले**

**प्रभार : पीसीआईटी-नोएडा**

**कर निर्धारिती :मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लि.**

**निर्धारण वर्ष : 2009-10**

**पैन : AABCJ9042R**

एओ ने कर निर्धारिती कम्पनी के लिए ₹ 284.87 करोड़ कटौती की अनुमति दी थी। कर निर्धारिती संबंधित संरचनाओं और बिक्री/एक्सप्रेसवे के किनारे को पट्टे धारण के विकास के साथ-साथ यमूना एक्सप्रेसवे के रख-रखाव और संचालन और विकास के व्यवसाय में संलग्न था तदनुसार, सीआईटी नोएडा ने वास्तविक निर्धारण की समीक्षा की और यह बताते हुए उपरोक्त कटौती को अस्वीकृत किया कि कर निर्धारिती धारा 80आईए(6) के अन्तर्गत कटौती के लिए पात्र है, धारा 80आईए(4)(i) के लिए स्पष्टीकरण (ब) के साथ पठित और धारा 80आईए(4)(i) के लिए (अ) स्पष्टीकरण के साथ नहीं है। अपील पर, आईटीएटी ने कटौती को पुनसंग्रहित रख लिया (अप्रैल 2015) यह कहते हुए कि टोल रोड को विकास नियन्त्रित अभिगम औरा निकास बिन्दुओं के साथ और सही उपयोगकर्ताओं से टोल एकत्र करने के लिए स्पष्ट रूप से सड़क की परिधि में एक्सप्रेसवे को डालकर जो एक टोल सड़क है। इसके अतिरिक्त, नोएडा और आगरा के मध्य एक्सप्रेसवे के विकास और एक्सप्रेसवे के समीप पाँच भूमि के विकास के एक परियोजना का अविभाजन्य और अभिन्न अंग थे और इसलिए कर निर्धारिती के लिए त्रुटिपूर्ण तरीके से कटौती अधिनियम की धारा 80आईए(4)(i) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में निर्धारिती के मामले में रखने से नकारा नहीं जा सकता है। आईटीएटी के आदेशों के अनुपालन में, किया गया था (जुलाई 2015) सम्पूर्ण राशि की कटौती की अनुमति प्रदान करके धारा 254/263/143(3) के आदेशों के अन्तर्गत पारित किया गया था।

सीआईटी, नोएडा और आईटीएटी का रूख राजमार्ग के उपचार पर एक दूसरे के विरोधाभासी हो रहे हैं कि एक राजमार्ग है या एक टोल सड़क है, सड़क की व्याख्या के लिए टोल सड़क और राजमार्ग परियोजना सहित स्पष्टीकरण (अ) और (ब) के अन्तर्गत धारा 80आईए की उपखंड(4)(i) के नीचे अधिनियम में संसोधन करने की आवश्यकता है।

एओ की ऊपर दर्शायी गयी त्रुटि और गलतियां संकेत देती हैं, कि प्रावधानों/शर्तों अधिनियम की धारा 80आईए में निर्धारित आधारभूत संरचना विकास के व्यापार में लगे कर निर्धारिती को कटौती की अनुमति देने से पहले एओ द्वारा साथ में विधिवत संकलित नहीं किये गये थे।

**सिफारिशें**

सीबीडीटी सुनिश्चित करे कि लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारण में इंगित त्रुटियों का विधिवत ध्यान रखा गया है जिससे राजस्व की हानि से बचा जा सके।